

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प दादर

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दादर व भू.अ.नि. चूरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार चूरु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 13E के अनुसरण में ग्राम बालरासर तंवरान तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में खाता संख्या 36 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>बालरासर तंवरान</u>	<u>36</u>	<u>श्रीखाराम पुत्र-चोबूरात्र हिस्सा 1/5 पाठि-ब्राह्मण निवासी बालरासर तंवरान खातेदार</u>	<u>श्रीखाराम पुत्र-चोबूरात्र हिस्सा 1/5 पाठि ब्राह्मण निवासी बालरासर तंवरान खातेदार</u>



An 08/10/21

पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 58/2021

दिनांक :- 08-10-2021

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर गलत रिपोर्ट भिजवाये।
  2. प्रार्थी श्री श्रीखाराम पुत्र-चोबूरात्र ब्राह्मण, बालरासर तंवरान को भेजना।
  3. रक्षित पत्रावली।

10 No 839  
08/10/2021

An 10/21  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)